संख्या-35/2016/2553 सी0डी0/46-3-16-1000(77)/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, शक्कर विशेष निधि से क्रय किये गए वाहनों में से 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 03 नये वाहनों को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 24.11.2016 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-8** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष, शक्कर विशेष निधि से क्रय किये गए वाहनों में से 03 निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों (संख्या- यू0पी0-32-सी-3294, यू0वी0जे0-5500 एवं यू0पी0-32-सी-1500) के स्थान पर 03 नये वाहनों को, वाहन क्रय संबंधी सुसंगत नियमों /वित्त विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, क्रय किये जाने हेतु **रू0 21,00**,000/- **(रू0 इक्कीस लाख मात्र)** को आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का लेखा-जोखा रखने तथा इस विषय में सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अनुसार वाहन क्रय किये जाने एवं इस संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में दिये गये निर्देशों तथा वाहन क्रय संबंधी सुसंगत नियमों /वित्त विभाग के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से कोई अन्य व्यय वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं नये क्रय किये गये वाहनों की निबन्धन / पंजीयन

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या (माडल आदि के विवरण की सूचना सहित) निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि, जिस प्रयोजन के लिए दी जा रही है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

7- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग / उपक्रम में तैनात नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष**- ''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-35 /2016/ 2553 सी0डी0/46-3-16-1000(77)/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in